

कार्यालय:-अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।

आवेश संख्या/सेवा0अराज0/ 272

/3 ख (4)/स्थाना0/2026-27 दिनांक 27 अगस्त 2026

विज्ञापित/स्थानान्तरण

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्रावधानानुसार स्थानान्तरण सत्र 2026-27 हेतु गठित विभागीय स्थानान्तरण समिति की संस्तुति तथा शासनादेश संख्या -410893/xxiv-B-1/2026/13(12)2011 TC-1 माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-01 दिनांक 07 जुलाई 2026, महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड के पत्रांक/सेवा-2/1519-20/स्थानान्तरण/2026-27 दिनांक 10.07.2026, निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून के निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्रांक/ सेवायें-3 (3)/08/ 3350-54/वार्षिक0स्था0/2026-27 दिनांक 14 जुलाई 2026 एवं वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 धारा-17 (1) (ख) (एक से पांच) में निहित व्यवस्था के क्रम में गढ़वाल मण्डलान्तर्गत विद्यालयों/कार्यालयों में वरिष्ठ सहायक पद (वेतनमान 29200-92300, लेवल-5) पर कार्यरत निम्नांकित कर्मिकों को तत्काल प्रभाव से "अनुरोध के आधार पर निजी व्यय" के मानकानुसार स्तम्भ-4 में अंकित तैनाती स्थल पर स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र० सं०	कर्मिक का नाम व पदनाम	वर्तमान कार्यालय/विद्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय/विद्यालय का नाम	स्थानान्तरण का प्रकार	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
धारा-17 (1) (ख) (एक)-गम्भीर रोग से रोगग्रस्त/अक्षम कर्मियों द्वारा स्वयं अथवा पति/पत्नी (यथा लागू) अथवा माता पिता अथवा विवाहित/विधवा महिला कर्मियों के सास-ससुर अथवा 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की गम्भीर रोगग्रस्तता/अक्षमता के आधार पर अनुरोध					
1	श्रीमती कविता रावत, वरिष्ठ सहायक	रा0इ0का0 हर्षिल, वि0ख0 भटवाड़ी, उत्तरकाशी	कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0, उत्तरकाशी	पुत्र की बीमारी/अक्षमता	उपलब्ध रिक्त पद पर
2	श्री कृष्णकान्त, वरिष्ठ सहायक	रा0उ0मा0वि0 पिनानी, वि0ख0 पाबौ पौड़ी गढ़वाल	निदेशालय, प्रा0शि0, उत्तराखण्ड, देहरादून	माताजी की बीमारी	उपलब्ध रिक्त पद पर
3	श्री अंशुल चौहान, वरिष्ठ सहायक	रा0उ0मा0वि0 रौणद रमोली, वि0ख0 प्रतापनगर, पौड़ी गढ़वाल	रा0इ0का0 गढ़बरसाली, वि0ख0 दुण्डा, उत्तरकाशी	पिताजी की बीमारी	उपलब्ध रिक्त पद पर
4	श्री आशीष बहुखण्डी, वरिष्ठ सहायक	रा0उ0मा0वि0 पाटीसेण, वि0ख0 एकरेश्वर, पौड़ी गढ़वाल	रा0कं0उ0मा0वि0 शमशेरगढ़, डोईवाला, देहरादून	स्वयं की बीमारी	उपलब्ध रिक्त पद पर
धारा-17 (1) (ख) (दो)-मानसिक रूप से विकसित एवं लाचार बच्चों के माता पिता द्वारा अनुरोध					
5	श्री अरविन्द सिंह, वरिष्ठ सहायक	कार्यालय उप शिक्षा अधिकारी, जाखणीधार, टिहरी गढ़वाल	कार्यालय खण्ड शिक्षा अधिकारी, ज्योतिर्मठ, चमोली	मानसिक रूप से विकसित बच्चों के माता पिता	उपलब्ध रिक्त पद पर
धारा-17 (1) (ख) (चार)-उत्तराखण्ड सरकारी की सेवा में कार्यरत पति/पत्नी द्वारा सामान्य श्रेणी के स्थल/क्षेत्र में तैनाती हेतु अनुरोध					
6	श्रीमती रूपा पंवार, वरिष्ठ सहायक	रा0उ0मा0वि0 ओनालगंव, वि0ख0 प्रतापनगर, टिहरी गढ़वाल	रा0उ0मा0वि0 बरसिर, वि0ख0 जखोली, रुद्रप्रयाग	सेवारत पति-पत्नी के अन्तर्गत	उपलब्ध रिक्त पद पर
7	श्री इन्द्रेक्ष कोठारी, वरिष्ठ सहायक	रा0उ0मा0वि0 गबेला वि0ख0 चकराता, देहरादून	रा0उ0मा0वि0 अपर कण्डोली, वि0ख0 सहसपुर, देहरादून	सेवारत पति-पत्नी के अन्तर्गत	उपलब्ध रिक्त पद पर
8	श्री अभिषेक बुटोला, वरिष्ठ सहायक	कार्यालय खण्ड शिक्षा अधिकारी, अगस्त्यमुनि, रुद्रप्रयाग	रा0उ0मा0वि0 पित्रधार, वि0ख0 अगस्त्यमुनि, रुद्रप्रयाग	सेवारत पति-पत्नी के अन्तर्गत	उपलब्ध रिक्त पद पर
9	श्रीमती स्वाती डबराल, वरिष्ठ सहायक	रा0उ0मा0वि0 खाण्ड, वि0ख0 चम्बा, टिहरी गढ़वाल	रा0इ0का0 बागी मठियाणगांव, वि0ख0 चम्बा, टिहरी गढ़वाल	सेवारत पति-पत्नी के अन्तर्गत	उपलब्ध रिक्त पद पर
10	श्रीमती रितिका चमोली, वरिष्ठ सहायक	कार्यालय अपर निदेशक, मा0शि0, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी	रा0इ0का0 सुमाड़ी, वि0ख0 खिरसू, पौड़ी गढ़वाल	सेवारत पति-पत्नी के अन्तर्गत	उपलब्ध रिक्त पद पर

2	3	4	5	6	
धारा-17 (1) (ख) (पांच)-विधवा, विधुर, सक्षम न्यायालय के आदेश से घोषित परिस्थितता एवं तलाकशुदा कार्मिक तथा वरिष्ठ कार्मिकों द्वारा अनुरोध					
11	श्रीमती रजनी बासा, वरिष्ठ सहायक	रा0उ0मा0वि0 सिमरखाल, वि0ख0 एकेश्वर, पौड़ी गढ़वाल	कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0, देहरादून	विधवा कार्मिक	उपलब्ध रिक्त पद पर
12	श्रीमती नीलम देवी, वरिष्ठ सहायक	रा0उ0मा0वि0 झिलोटी, वि0ख0 पोखरी, चमोली	रा0इ0का0 जयपुर कोल्हो, चमोली	विधवा कार्मिक	उपलब्ध रिक्त पद पर
13	श्रीमती भीरा बासुजा, वरिष्ठ सहायक	रा0उ0मा0वि0 सूर, वि0ख0 चिन्वालीसौड़, उत्तरकाशी	रा0क0उ0मा0वि0 ब्रह्मखाल, उत्तरकाशी	विधवा कार्मिक	उपलब्ध रिक्त पद पर
14	श्रीमती सोनी शर्मा, वरिष्ठ सहायक	रा0उ0मा0वि0 क्यारा जमोला, वि0ख0 नरेन्द्रनगर, टिहरी गढ़वाल	रा0उ0मा0वि0 गोवर्धनपुर, वि0ख0 लक्सर, हरिद्वार	विधवा कार्मिक	उपलब्ध रिक्त पद पर
15	श्रीमती सुनीता थपलियाल, वरिष्ठ सहायक	रा0इ0का0 रिंगोली, वि0ख0 कीर्तिनगर, टिहरी गढ़वाल	रा0उ0मा0वि0 पश्चिमीयाला, वि0ख0 विकासनगर, देहरादून	विधवा कार्मिक	उपलब्ध रिक्त पद पर
16	श्रीमती अनीता, वरिष्ठ सहायक	रा0उ0मा0वि0 जुड़डा रौडियाल, वि0ख0 दुगड़डा, पौड़ी गढ़वाल	रा0उ0मा0वि0 सहदेवपुर, वि0ख0 बहादुराबाद, हरिद्वार	विधवा कार्मिक	उपलब्ध रिक्त पद पर
17	श्रीमती पूनम देवी, वरिष्ठ सहायक	रा0उ0मा0वि0 बमणगांव, वि0ख0 रिखणीखाल, पौड़ी गढ़वाल	कार्यालय खण्ड शिक्षा अधिकारी, रुड़की, हरिद्वार	विधवा कार्मिक	उपलब्ध रिक्त पद पर
18	श्रीमती वन्दना बहुगणा, वरिष्ठ सहायक	रा0इ0का0 पाण्डुकोश्वर, वि0ख0 ज्योतिर्मठ, चमोली	रा0इ0का0 श्रीनगर, वि0ख0 खिरसू, पौड़ी गढ़वाल	विधवा कार्मिक	उपलब्ध रिक्त पद पर
19	श्रीमती आशा देवी, वरिष्ठ सहायक	रा0उ0मा0वि0 उत्तरौं, वि0ख0 पोखरी, चमोली	रा0इ0का0 सरमोला, वि0ख0 पोखरी, चमोली	विधवा कार्मिक	उपलब्ध रिक्त पद पर
20	श्री कमल किशोर, वरिष्ठ सहायक	कार्यालय उप शिक्षा अधिकारी, थराली, चमोली	रा0इ0का0 सलेमपुर, वि0ख0 बहादुराबाद, हरिद्वार	तलाकशुदा कार्मिक	उपलब्ध रिक्त पद पर
21	श्री राजकिशोर सिंह बिष्ट, वरिष्ठ सहायक	कार्यालय खण्ड शिक्षा अधिकारी, नारायणबगड़, चमोली	कार्यालय खण्ड शिक्षा अधिकारी, थराली, चमोली	वरिष्ठ कार्मिक	उपलब्ध रिक्त पद पर
22	श्री विनोद सिंह रौथान, वरिष्ठ सहायक	रा0उ0मा0वि0 जमठियालगांव, वि0ख0 वि0ख0 जौनपुर, टिहरी गढ़वाल	निदेशालय, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून	वरिष्ठ कार्मिक	उपलब्ध रिक्त पद पर

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 की धारा-22 में निहित प्राविधानानुसार उक्त स्थानान्तरित कार्मिकों के संबंध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी-

(1) समस्त स्थानान्तरित कार्मिक स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत स्थानान्तरित स्थल पर कार्यभार ग्रहण करेंगे। सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष स्थानान्तरित कार्मिक को तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त करेंगे तथा स्थानान्तरित कार्मिक का वेतन नवीन स्थानान्तरित कार्यालय/विद्यालय से ही आहरित किया जायेगा।

(2) स्थानान्तरित कार्मिक को किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

(3) स्थानान्तरित किये गये कार्मिक के द्वारा नवीन तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(4) अवमुक्त होने वाले कार्मिक नियमानुसार कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining time) का उपभोग नवीन तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे, तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि (Joining time) का ही उपभोग कर सकेंगे।

(5) माता-पिता/सास-ससुर की गंभीर बीमारी/दिव्यांगता के आधार पर स्थानान्तरित कार्मिक अपर निदेशक, प्रा0शि0, गढ़वाल मण्डल पौड़ी एवं संस्थाध्यक्ष के नाम से कार्यमुक्त होने से पूर्व इस आशय का शपथ पत्र संस्थाध्यक्ष के (संस्थाध्यक्ष प्राप्त शपथ पत्र को मुख्य शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0 के माध्यम से इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे) समक्ष प्रस्तुत करेंगे कि "माता-पिता अथवा सास-ससुर (नाम, पता एवं उम्र) गंभीर रोग/दिव्यांगता से ग्रसित हैं, जिनकी

देखभाल हेतु परिवार का अन्य सक्षम सदस्य उपलब्ध नहीं है तथा देखभाल की सम्पूर्ण जिम्मेदारी मेरी है, भविष्य में उक्तांकित कथन में किसी प्रकार की भिन्नता पायी जाती है तो समस्त जिम्मेदारी मेरी होगी।" उक्त के संबंध में कथन असत्य पाये जाने पर संबंधित कार्मिक का स्थानान्तरण तत्काल निरस्त किया जायेगा एवं कर्मचारी आचरण नियमावली-2002 यथा संशोधित-2003 के आलोक में दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

(6) स्वयं की गम्भीर रोग/विकलांगता के आधार पर स्थानान्तरित कार्मिक को उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा-3(छ) के अन्तर्गत स्वयं की गम्भीर बीमारी अथवा विकलांगता का उपचारार्थीन होने/विकलांगता के बावजूद अपने पदीय कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए उपयुक्त होने विषयक मेडिकल बोर्ड/सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्वस्थता प्रमाण-पत्र कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष को उपलब्ध करायेंगे।

(प्रमोद कुमार)

अपर निदेशक (प्रा0शि0)

गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।

दिनांक उक्तवत।

पृ0सं0/ सेवा0अराज0/ 3592-3611 /3 ख (4)/स्थाना0/2026-27 दिनांक उक्तवत।
प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, विद्यालयी शिक्षा, गढ़वाल मण्डल।
2. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल।
3. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. निदेशक, राज्य शैक्षिक एवं अनुसंधान संस्थान, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. अपर निदेशक, महानिदेशालय, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. अपर निदेशक, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
9. सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी, गढ़वाल मण्डल।
10. सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, गढ़वाल मण्डल।
11. सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी, मा0शि0, गढ़वाल मण्डल।
12. सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0, गढ़वाल मण्डल।
13. सम्बन्धित वित्त अधिकारी, विद्यालयी शिक्षा, गढ़वाल मण्डल।
14. समस्त खण्ड शिक्षा अधिकारी, गढ़वाल मण्डल। (द्वारा सम्बन्धित जि0शि0अधि0, मा0शि0)
15. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी, गढ़वाल मण्डल। (द्वारा सम्बन्धित जि0शि0अधि0, प्रा0शि0)
16. सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष/संस्थाध्यक्ष को इस इस आशय से प्रेषित कि वे स्थानान्तरित कार्मिक को आवेश निर्गत होने की तिथि से 01 सप्ताह के अन्तर्गत कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराना सुनिश्चित करें तथा कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण की सूचना तत्काल ई-मेल (adbasic 2013@gmail.com) पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
17. एम0आई0एस0 प्रभारी, विद्यालयी शिक्षा को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट में अपलोड करने का कष्ट करें।
18. सम्बन्धित कार्मिक को अनुपालनार्थ।
19. कार्यालय आदेश पत्रावली।
20. सम्बन्धित पत्रावली।

(प्रमोद कुमार)

अपर निदेशक (प्रा0शि0)

गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।